चित्रकूट-पुलिस

(1). थाना भरतकूप एवं एसओजी टीम ने लूट की घटना का किया सफल अनावरण 05 लुटेरे अभियुक्त गिरफ्तार, 02 अवैध तमंचे, 02 कारतूस व लूटे के 03 मोबाइल, गहनें व नगदी बरामद

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में एसओजी व थाना भरतकूप की संयुक्त टीम द्वारा लूट की घटना का खुलासा करते हुये 05 लुटेरे अभियुक्तो को 02 अदद अवैध तमंचे, 02 अदद कारतूस , लूटे का मंगलसूत्र, 1000 रुपये ,03 मोबाइल, जरुरी दस्तावेज व घटना में प्रयुक्त लाठी व राड के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1. दिलीप कुमार पटेल पुत्र भोला प्रसाद निवासी भडरापुरवा वगैहा मजरा घुरेटनपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट उम्र करीब 20 वर्ष
2. छोट्टन उर्फ़ अखिलेश पटेल पुत्र मुडवा उर्फ राजकुमार निवासी घुरेटनपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट उम्र करीब 22 वर्ष
3. छोटा उर्फ अखिलेश पटेल पुत्र वोंगे उर्फ राजेंद्र प्रसाद निवासी ग्राम घुरेटनपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट उम्र करीब 18 वर्ष
4. रामानंद पटेल पुत्र गोली उर्फ गौकरण निवासी भगनपुर चौकी परिक्रमा मार्ग थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट उम्र करीब 20 वर्ष
5. सचिन पटेल पुत्र बुद्ध विलास निवासी ग्राम घुरेटनपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट उम्र करीब 18 वर्ष

बरामदगीः-

(I). 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
(II).01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर
(III).03 अदद मोबाइल (लूट के)
(IV).लूट का मंगलसूत्र कीमत लगभग 50 हजार रुपये
(V). 01 ई-श्रम कार्ड, 01 ड्राईविंग लाईसेन्स, 04 एटीएम कार्ड, 1000 रुपये
(VI) लूट करने मे प्रयोग किये गये 03 अदद डंडा, 01 लोहे की राड, 01 स्टील का पाईप

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः-

मानपुर तिराहा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट **दिनांक** 11.10.2024 **समय शाम 06.50** बजे

संक्षिप्त विवरणः-

उल्लेखनीय है कि दिनांक- 04.10.2024 को वादी कमलेश साहू पुत्र रामखिलावन निवासी बघेलावारी थाना फतेहगंज जनपद बांदा द्वारा थाना भरतकूप मे सूचना दी गयी थी कि दिनांक 03.10.2024 को वह अपनी मोटरसाइकिल से ग्राम घुरेटनपुर से अपने गांव बघेलावारी जा रहे थे कि चितराहन मोड़ पर अचानक 04 नकाबपोश बदमाश हाथों डंडा

व लोहे की राड लेकर आये और हमे रोका बदमाशों द्वारा मेरा मोबाइल, पर्स तथा मेरे साथ बैठी मेरी बुआ का मंगलसूत्र छीन लिया। उसी दौरान थोडे समय मे मोटरसाईकिल से उदयपाल विश्वकर्मा पुत्र अवधलाल विश्वकर्मा निवासी अन्डेवरा थाना कालिंजर जनपद बांदा को भी रोककर उनका आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड व 3900 रुपये छीनकर जंगल की ओर भाग गये। इस सूचना पर थाना भरतकूप मे मु0अ0स0 150/2024 धारा 309(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा घटना का संज्ञान लेकर थानाध्यक्ष भरतकूप एवं एसओजी प्रभारी को घटना के अनावरण हेतु निर्देशित किया गया। एसओजी एवं थाना भरतकूप पुलिस द्वारा घटना के अनावरण हेतु अथक प्रयास किये गये जिसमें लूटे गये मोबाइल फोन में एक सिम डाला गया था जिसकी सम्बन्ध मे जानकारी करने पर दिलीप कुमार पुत्र भोला प्रसाद निवासी घुरेटनपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट के नाम से पाया गया।

दिनांक 12.10.2024 को अभियुक्त दिलीप कुमार उपरोक्त को घुरेटनपुर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की जामा तलाशी से उसके पास से 01 अदद तमंचा 315 बोर,01 अदद कारतूस 315 बोर व लूटा हुआ मोबाइल बरामद किया गया। अभियुक्त से कड़ाई से पूंछतांछ की गयी तो बताया कि दिनांक 03.10.2024 को मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर दो मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों से लूट की थी जिसमें से लूटे गये 01 मोबाइल मे मैंने अपनी सिम डाल ली थी। गिरफ्तार अभियुक्त दिलीप कुमार उपरोक्त की निशान देही पर मानपुर तिराहे से अभियुक्त 1. छोट्टन उर्फ़ अखिलेश पटेल पुत्र मुडवा उर्फ राजकुमार निवासी घुरेटनपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट उम्र करीब 22 वर्ष 2. छोटा उर्फ अखिलेश पटेल पुत्र वोंगे उर्फ राजेंद्र प्रसाद निवासी ग्राम घुरेटनपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट उम्र करीब 18 वर्ष 3. रामानंद पटेल पुत्र गोली उर्फ गौकरण निवासी भगनपुर चौकी परिक्रमा मार्ग थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट उम्र करीब 20 वर्ष 4. सचिन पटेल पुत्र बुद्ध विलास निवासी ग्राम घुरेटनपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट उम्र करीब 18 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तो की जामा तलाशी से अभियुक्त छोटा उर्फ अखिलेश पटेल उपरोक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 12 बोर व 01 अदद कारतूस 12 बोर बरामद हुआ,तथा अन्य अभियुक्तो के पास से लूटा गया 01 मोबाइल, 01 मंगलसूत्र का पेंडल व 05 मोंती पीली धातु , 04 अलग-अलग बैंको के एटीएम कार्ड, 01 आधार कार्ड, 01 पैन कार्ड, 01 ड्राईविंग लाइसेंस तथा एक पर्स जिसमे 01 हजार रुपये बरामद हुआ।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं लूट का माल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 309(4) बीएनएस का लोप करते हुये धारा 310(1),317(4) बीएनएस व 2/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

एसओजी टीमः-

1. निरीक्षक श्री एमपी. त्रिपाठी एसओजी प्रभारी
2. मुख्य आरक्षी जितेन्द्र कुशवाहा
3.मुख्य आरक्षी नीतेश समाधिया
4. आरक्षी पवन राजपूत
5.आरक्षी गोलू भार्गव
6. आरक्षी आशीष यादव
7.आरक्षी रोहित सिंह
8.आरक्षी ज्ञानेश मिश्रा
9.आरक्षी रोशन सिंह

थाना भरतकूप की टीम

1.थानाध्यक्ष भरतकूप श्री प्रवीण कुमार सिंह
2.उ0नि0 श्री राहुल पाण्डेय
3.मुख्य आरक्षी शैलेन्द्र सिंह
4. आरक्षी रणवीर सिंह
5.आरक्षी सतीश कुमार
6. आरक्षी संदीप लोधी

(2). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-5" के तहत जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-5" के तहत आज दिनांक 12.10.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 12.10.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री सत्यमपति त्रिपाठी एवं उनके हमराही आरक्षी द्वारा मु0अ0सं0 87/2016 धारा 307/34,323,504,506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त रामकृष्ण पुत्र लखनलाल निवासी कस्बा शिवरामपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री रमेश सिंह व उनकी टीम द्वारा 1. वसीर अली पुत्र हुसैन अली 2.भोला बक्स पुत्र लोला 3. इमाम उर्फ रज्जूभान पुत्र मुर्तजा 4. हसरत अली पुत्र मोला बक्स 5.राहुल पुत्र मंगल निवासीगण निभुआ पुरवा कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को ताश के पत्तों में हारजीत के बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से मालफड़ 1900/- रुपये व 52 अदद ताश के पत्ते तथा जामा तलाशी से 830/- रुपये बरामद किये गये। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।